उनवान

प्रकरण सं

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

दिनांक	
10/9/25	पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी अधिवक्ता उप०। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सि० दीवानी व धारा 11 सि० दीवानी का निर्णय पृथक से टंकित कराया जाकर बाबे इजलास सुनाया गया। प्रतिवादी सं. 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहर वर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 व 5 के जवाब तथा प्रतिवादी सं. 4 की उपस्थिति हेतु दिनांक 27/10/25 को पेश हो। 10/9/25
27/10/25	पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी अधिवक्ता उप० पत्रावली वास्ते जवाब। प्रतिवादी सं. 4 की उपस्थिति हेतु दिनांक 1/12/25 को पेश हो
1/12/25	पत्रावली पेश हुई। वादी- प्रतिवादी अधिवक्ता उप०। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत निगरानी याचिका सं. 2025/9321/भीलवाड़ा/14763 दिनांक 29/9/2025 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा की विचाराधीन पत्रावली वाद संख्या 2025/564 में पारित निर्णय दिनांक 10/9/2025 के विरुद्ध निगरानी स्वीकार करते हुये पत्रावली तलब की गई है। अतः न्यायालय हाजा की पत्रावली वास्ते सुनवाई राजस्व मण्डल, अजमेर भिजवाई जाती है। पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा तलब किये जाने के कारण नम्बर से कम हो एवं पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में वास्ते सुनवाई प्रेषित की जाती है। 1/12/25 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा